



मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./ 6950 / Tech.-3 / 2013

भोपाल, दिनांक 5/08/2013

प्रति,

- क्लेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.  
जिला - समस्त

विषय :- मनरेगा अंतर्गत नवीन तालाब निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, स्टापडेम एवं घाट कटिंग के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रं. एफ-3/1/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 31.01.2006
  2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रं. 7399/NR- 3/ MGNREGS-MP /2010 भोपाल दिनांक 19.07.2010


—00—

संदर्भित आदेशों द्वारा सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मनरेगा बंधे 5.00 लाख तक के कार्यों की तकनीक स्वीकृति के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। प्रशासकीय दृष्टि से निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति देने हेतु सहायक यंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं अन्य स्तर पर प्रदत्त स्वीकृति के अधिकार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

- अ) तालाब निर्माण।
- ब) तालाब गहरीकरण।
- स) स्टापडेम निर्माण।
- द) सड़क निर्माण हेतु घाट कटिंग या फिलिंग।

उपरोक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भविष्य में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा उससे बरिष्ठ यंत्री द्वारा स्थल के पूर्ण सर्वेक्षण के उपरांत दी जावेगी एवं सहायक यंत्री द्वारा स्वयं कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ले-आउट देने के उपरांत कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(अरुणा शर्मा)  
अपर मुख्य सचिव  
म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. / 6951 / Tech.-3 / 2013  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 5/08/2013

1. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), (ऑडिट) म.प्र. ग्वालियर।
3. आयुक्त, कोष व लेखा संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग (म.प्र.)।
6. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त।
8. सहायक यंत्री, समस्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग  
बाराघाट (म.प्र.)

(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव  
म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठ सं. क्रमांक 3367 / कार्य/संस्कृत/गयासं. दिनांक 19/8/13

प्रतिलिपि :- 1 अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी  
सेवा उपसंभाग बाराघाट/बैर/लांजी/बारासिनी

2 सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत

की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशों के  
अर्थात् से पालनार्थ अंग्रेजित।

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग बाराघाट (म.प्र.)  
दूरभाष क्र 07632-241759